

FORM No. III

फॉर्म नम्बर

(विभाग 28)

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रो० श्री गंगानगर

काली देवी पुत्री काहनाराम पवन कुमार पुत्र रामप्रताप सुथार

अपील 1/68
21/11/89

तारीख
दृश्य

सूचना या आवेदन की तारीख

सूचना या आवेदन की तारीख
प्रकार की तारीख
में जारी हुए

25-1-08

प्रस्तुत अपील काली देवी पुत्री काहनाराम माता भागीदेवी
पत्नी श्री रावताराम सुथार निवासी परलीका तहसील
नोहर जिला हुनमानगढ़ ने तहसीलदार गंगानगर के आदेश
इन्तकाल न0121 दिनांक 8-12-94 चक 1 के तहसील व जिला
गंगानगर के आदेश के विरुद्ध दिनांक 23-1-08 को पेश की है।
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मियाद के विन्दु को सुरक्षित
रखाते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रिकार्ड तलब कर दिनांक
20-2-08 को पेश हो। स्थागन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट
को सुना गया। प्रथम दृष्टया वकील अपीलान्ट के कर्ता से
सन्तुष्ट होकर अपीलाधीन आदेश इन्तकाल न0121 दिनांक
8-12-94 के बेवान/ रहन पर आयन्सद पेशा दिनांक
20-2-08 तक रोक लगाई जाती है। पत्रावली 20-2-08 को
पेशा हो।

20-2-08

पत्रावली पेशा हुई। वकील अपीलान्ट उप। रसपो 01-2-8 की
ओर से श्री मोहलाल पुनिया एडवोकेट-रसपो 0-3 की ओर से
दयाराम छिपा एडवोकेट 4-8-8 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गोवर
एव 5-7 की ओर से श्री हरपूलसिंह एडवोकेट उप आये।
श्री मलकीयत सिपुत्र हरदेवसिंह जटसिंहरवेगरा की ओर से
श्रीजरनेलसिंह दूरनावकील द्वारा पक्षाग्र बनाने हेतु आवेदन
पत्र आदेश। नियम 10 1/2 आदेश। नियम 20 धारा 15। सीवीसी
पेशा किया प्रति वकील अपीलान्ट को दिखाई गई प्रार्थना पत्र पर
जबाब बहस हेतु दिनांक 3-3-08 को पेश हो पूर्व में जारी स्थागन
की अवधि आयन्दा पेशा तक बढाई जाती है। पत्रावली
3-3-08 को पेशा हो।

368
24/3/08

02.02.2026

पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक:- राम/न्याय /निगरानी/एलआर/2008/3185/गंगानगर 862 दिनांक 19.01.2026 द्वारा मूल पत्रावली 04/2008 मय निर्णय की प्रति प्राप्त हुई। याददास्त पत्रावली सलग्न पत्रावली की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 06.01.2026 इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.03.2008 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण मलकीत सिंह-गुरदीप सिंह पिसरान हरदेवसिंह एवं गुरजन्त सिंह-बलविन्द्र सिंह पिसरान गुरदेव सिंह निवासीगण चक 7 एलएनपी तहशील व जिला श्रीगंगानगर को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधि अनुसार शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.01.2026 की पालना में प्रार्थीगण को रेसपोडेन्ट संख्या 10 ता 13 के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते बहस पूर्व निर्धारित दिनांक 25.03.2026 को पेश हो

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

१०/३/२६

वार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय में पत्रावली दिनांक 07/4/26 को पेश हो

07/4/26 आधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु अवकाश नहीं पाया, जो डिमा गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21-4-26 को पेश हो

११-४-२६

वार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय में पत्रावली दिनांक 12-5-26 को पेश हो

12.5.2026

पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता अपीलकर्ता उपस्थित नहीं। आधिवक्ता अपीलकर्ता को प्रश्न-प्रश्न समझ पट, सूत्र-कक कर, वार-वार आवेदन गार्ड गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। रेली स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में रवारिज की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित नएमीलदार को भेजी गई जावे। पत्रावली फैसला शुभारंभ की जात्र नम्बर से क्रम की जावे व वार तहरीब तहमील जिला तहकी लबागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर